भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 3/7/2008-जेएस-II/एसडीआर/2905-2939 दिनांक 10 नवम्बर, 2008

सेवा में

सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय: सम्पत्ति के विरूपण के संबंध में अनुदेश- तत्सम्बन्धी।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय में आयोग के दिनांक 7 अक्टूबर, 2008 के पत्र सं. 3/7/2008/जेएस- II की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है।

यह रिपोर्ट किया गया है कि निजी सम्पत्ति के विरूपण के संबंध में आयोग के निर्देशों को समझने में कुछ संशय है। इस संबध में निर्देशों की और व्याख्या नीचे की गई है।

निजी सम्पत्ति का विरूपण

<u>जहां ऐसा कानून है जिसके तहत विरूपण निषिद्ध है</u>

जिन राज्यों में ऐसा कानून है जिसके तहत किसी भी प्रकार से <u>निजी</u> सम्पत्ति को विरूपित करना निषिद्ध है तो उस कानून के प्रावधान लागू होंगे, जिसका अर्थ होगा कि ऐसे मामलों में सम्पत्ति के मालिक की सहमति से भी विरूपण नहीं किया जा सकता।

<u>जहां कानून के तहत विरूपण की अनुमति है</u>

जिन राज्यों में कानून में शर्तों के साथ अथवा बिना किसी शर्त के निजी सम्पत्ति को किसी भी प्रकार से विरूपित करने के लिए स्पष्ट प्रावधान हैं, वहां आयोग के निर्देशों के अनुसार संबंधित दल/अभ्यर्थी/व्यक्ति द्वारा सम्पत्ति के मालिक/निवासी की लिखित अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए और यह संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

जहां विरूपण के संबंध में कोई कानून नहीं है

जिन राज्यों में निजी सम्पत्ति के विरूपण के लिए कोई कानून नहीं है वहां आयोग के निर्देशानुसार सम्पत्ति के मालिक/निवासी की लिखित अनुमति से अस्थायी और हटाए जा सकने वाली प्रचार सामग्री जैसे झंडों और बैनरों की अनुमति दी जाएगी। यह अनुमति स्वयं की इच्छा से दी जानी चाहिए और इस प्रकार ली गई लिखित अनुमति की एक प्रति संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

(के.एफ. विल्फ्रेड)
सचिव